भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3919
दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

गांवों में विद्युत की व्यवस्था

3919. श्री अरुण गोविलः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन में अत्यधिक सुधार को देखते हुए शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर गांवों में 18 घंटे के बजाय 24 घंटे बिजली प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री:
(श्री श्रीपद नाइक):

(क) से (ग) : भारत सरकार ने हमेशा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीम के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सदैव बल दिया है, ताकि उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। हालांकि, आयोग कृषि आधारित उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों को विद्युत आपूर्ति के लिए कम अवधि विनिर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

भारत सरकार ने राज्यों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित पहल की शुरूआत की है:

I. वर्ष 2014 से 2,22,500 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी से विद्युत की पर्याप्तता की ओर बढ़ रहा है। अक्टूबर, 2024 में उत्पादन क्षमता 4,54,452 मेगावाट थी।

II. वर्ष 2014 से 1,98,970 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 7,53,799 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने में 1,18,740 मेगावाट विद्युत अंतरित करने की क्षमता है।

III. वितरण क्षेत्र में, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आईपीडीएस स्कीम के तहत 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की गई, जिनमें 2,927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए, 3,965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए, 7,833 मिश्रित लोड फीडरों का फीडर पृथक्करण किया गया और 8.5 लाख सीकेएम एचटी और एलटी लाइनों को जोड़ा/ अपग्रेड किया गया।

इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत 2.77 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिससे विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने में यूटिलिटी के प्रयासों को बल मिलेगा।

****